आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

बी0एल0डी0आर0 अपील वाद संख्या–154 / 23

रामाधार यादव

बनाम्

बिहार सरकार एवं अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
25.05.2023	यह अपीलवाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बगहा के वाद संख्या–79 / 2015–16 में दिनांक–19.01.2018 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। विवादति भूमि पश्चिम चंपारण जिले के भितहॉ थानान्तर्गत खैराटोला मौजा के खाता संख्या–871 में अवस्थित है। वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को अधिग्रहण के बिन्दु पर सविस्तार सुना। वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.2018 को आदेश पारित किया गया है एवं वादी को वाद की सच्ची प्रतिलिपि दिनांक–04.10.2018 को प्राप्त भी हो चुका है परन्तु उनके (वादी) द्वारा दिनांक–26.04.2023 को इस न्यायालय में वाद दायर किया गया है। अर्थात लगभग 05 वर्ष विलंब से वाद दायर किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता ने वाद दायर करने में हुए विलंब के कारण में बताया है कि निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के बाद वादी अपने अधिवक्ता के साथ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बगहा से मिले जिन्होने वादी को आश्वस्थ किया की उत्तरवादी के साथ–साथ वादी के पर्चा	

WEB COPY NOT OFFICIAL

का जॉच अंचल अभिलेख से करके सीमांकन करा दिया जाएगा जिसके कारण अपीलार्थी ससमय प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल नहीं किए।

उल्लेखनीय है कि वाद दायर करने में हुए विलंब के कारण में वादी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा दिये गये आश्वासन को आधार बनाया जा रहा है जो मान्य नहीं हो सकता है। क्योंकि निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक–19.01.2018 आदेश को आदेश पारित किया गया है। उसके बाद उन्हे वाद दायर करने में 05 वर्ष का अप्रत्याशित विलंब हुआ है। इतने दिनों में कितने भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं का पदस्थापन/स्थानांतरण हुआ होगा। अतएव वादी के विद्वान अधिवक्ता का इतने लंबे समय तक किसी के (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता) आश्वासन पर वाद दायर करने में हुए विलंब का दिया गया तर्क संतोषजनक नहीं पाते हुए उसे अमान्य किया जाता है। साथ ही वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद दायर करने मे हुए विलंब को क्षांत करने का कोई साक्ष्य आधारित तथ्य भी प्रस्तुत नही किया गया। ऐसी स्थिति मे वाद दायर करने मे हुए विलंब का कोई तर्कपूर्ण जबाब वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नही दिया जा सका।

अतः प्रस्तुत अपीलवाद को उपरोक्त कारणो से कालबाधित (**Time barred**) होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL